THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR): (a) Presently 230 persons who retired in Pakistan and migrated to India are in receipt of *ad-hoc* pension from the Government of India in lieu of the pension claimed by them. Their cases have not yet been verified by Pakistan Government.

(b) The displaced persons who could produce documentary or collateral evidence in support of their service particulars have been paid their pensions in full pending verification of their claims by Pakistan Government.

(c) 28

सोवियत रूस में अध्ययन के लिए छात्रों का चयन

9554. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सोवियत रूस सरकार द्वारा विश्वावद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थानों से आमंत्रित छात्र भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं अथवा रूस के दूतावास द्वारा,

(ख) रूस सरकार द्वारा लगाए जाने वाले बच्चे तथा युवक शिविरों के लिए बच्चों तथा युवकों का चयन कौन करता है, और

(ग) यदि यह चयन रूस के दूतावास द्वारा किया जाता है तो क्या इसके बारे में रूस तथा भारत सरकार के बीच कोई समझौता है, यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृ मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारत रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के उपबंधों अंतर्गत सोवियत रूस में अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजे गए छात्र इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर आयोग द्वारा चुने जाते हैं। तथापि, आयोग द्वारा किए गए नामांकनों को स्वीकृत करने का अधिकार सोवियत प्राधिकारियों का है।

(ख) सोवियत रूस में बाल तथा युवक शिविरों में भाग लेने वाले सोवियत लैण्ड नेहरु पुरस्कार समिति द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें विख्यात गैर सरकारी सदस्य तथा भारत स्थित सोवियत दूतावास का एक अधिकारी शामिल होता है।

(ग) बाल तथा युवक शिविरों में भाग लेने वालों के चयन के लिए दोनों सरकारों के बीच कोई करार नहीं है। भाग लेने वाले सोवियत लैण्ड नेहरु पुरस्कार समिति द्वारा आयोजित निबंध या पेन्टिंग प्रतियोगिताओं के आधार पर चुने जाते है।

उत्तर प्रदेश की नदियों में दूषण

9555. **श्री अनत राम जायसवाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों, गंगा, यमुना, गोमती साई तथा राप्ती का पानी इतना दूषित हो गया है कि यह शहरों तथा इन नदियों के किनारे के तीर्थ स्थानों पर मनुष्यों के पीने तथा स्नान करने योग्य नहीं रह गया है,

(ख) यदि हां, तो पानी को पीने तथा स्नान करने योग्य बनाना सुनिश्चित कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) लखनऊ, वृन्दावन, अयोध्या, मथुरा, कानपुर, वाराणसी तथा इलाहाबाद में नदियों का पानी किस सीमा तक दूषित है और वित्तीय वर्ष 1977-78 में जल

दूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सकिन्दर बख्त) : (क) उत्तर प्रदेश की बडी नदियों से कुछ सीमा तक जल का प्रदूषण होता है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही "जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974" अपनाया हुआ है । इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उद्योग और स्थानीय प्राधिकरण अपने अपशिष्टों को प्रवाह करने से पूर्व बोर्ड की पूर्व अनुमति लेते हैं, राज्य सरकार ने इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के राज्य बोर्ड स्थापित किए है ।

(ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर पर रख दी जाएगी ।

Habitable Accommodation for Plantation Workers in various States

9556 SHRI PURNANARAYAN SINHA Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) the number of habitable accommodation with latrine, water supply and approach roads built by the management of Tea, Coffee, Rubber Plantations all over the country State-wise and what are the percentage of such housing built upto 31st December, 1977 State-wise;

(b) what steps are being taken by the Government to provide habitable housing to all permanent resident workers on the plantations in different States; and

(c) how much time will still be required for the Plantation managements to complete the building and provision of labour amenities required by the Plantation Labour Act?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) According to the information received from the concerned State Governments the position, Statewise, is as under—

State	No. of houses built	Percentage yfoeligible workers covered
Assam	1,11,020	54
Tripura	5 102	100
West Bengal	75·343	63
Karnataka	22,782	80
Kerala	80,733	95
Tamil Nadu	33,200	93

Information regarding availability of facilities like latrine, water supply and approach roads for the houses built is not available

(b) and (c). Section 15 of the Plantations Labour Act, 1951 makes it obligatory on every planter to provide and maintain for every worker, as defined in section 2(k) of the Act, and his family residing in the Plantation necessary housing accommodation. The model rules framed thereunder provide that the employers shall build houses for atleast 8 per cent of the resident workers every year until all of them are adequately housed and that no rent shall be charged by the employers for the same. As many planters were unable to meet this statutory obligation due to financial